

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 2013/00131
दिनांक 15.7.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं० 1 ता 5 के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 9.11.15 को हो चुके हैं। अतः मेरी एकतरफा बहस सुनी जावे एवं दिनांक 06.12.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताः फैसला स्थाई किया जावे। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया अप्रार्थी सं० 1 ता 5 के विरुद्ध आदेशिका दिनांक 9.11.15 में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रा०पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 06.12.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूलदावा के फैसला तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलदावा के साथ संलग्न हो

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

